an>

Title: Further discussion on the resolution regarding immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir - Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up Item No.37. Further discussion on the following resolution moved by Shri Nishikant Dubey on the 20th March, 2015:-

> "This House urges upon the Government to take immediate steps for rehabilitation and welfare of displaced persons from Kashmir who are living in various parts of the country in pitiable condition."

Shri Nishikant Dubey may continue.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हमने चर्चा कश्मीर के विस्थापितों के लिए स्टार्ट की। यहां तीन तरह के विस्थापन की मैं चर्चा करना चाहूंगा और मैं सारे लोगों से, पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह करूंगा कि हो सकता है कि मेरी कुछ बात बुरी लगे तो आप चर्चा के क्रम में उसका जवाब दे दें। फैक्ट्स को मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं। तीन तरह के जो विस्थापन हैं, उनमें एक विस्थापन वह है, जो कि हमारे नागरिक हैं, हमारे लोग हैं और पिछले 40, 50, 60 साल से वे अपने ही देश में परेशान हैं। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होगा, जहां ऐसा उदाहरण होगा। दूसरा विस्थापन वह है, जो कि 1946, 1947 में हमारे यहां आ तो गये, लेकिन आज तक उनको कोई नागरिकता नहीं दी गई। तीसरा विस्थापन वह है, जो एरिया हम कहते तो हैं कि हमारा है, लेकिन उस एरिया में क्या हो रहा है, उन लोगों की क्या दशा है, उन लोगों की क्या दुर्दशा है, उसके बारे में हम कभी खोज-खबर नहीं रखते हैं या हमारी नीतियों के कारण वे परेशान हैं और उसके अलावा हम उनको बुलाने का काम करते हैं।

इसकी प्रेरणा मुझे कल मिली, जब बंगलादेश का लैंड बाउंड्री एक्ट पास हो रहा था और पूरी पार्लियामेंट जब एक साथ थी तो मुझे लगा कि इसके बारे में बातचीत करने के लिए यह एक बड़ा अच्छा मौका है और कम से कम कश्मीर के बारे में बात करने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन टू नेशनल थ्यौरी के आधार पर हुआ तो उसमें से 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इन्दिरा गांधी जी का ही सबसे बड़ा प्रयास था, पूरा देश उनको इसके लिए याद भी करता है। जो सिचुएशन डैवलप हुई, उसमें ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और वैस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि धर्म के आधार पर कोई देश नहीं चल सकता और दूसरा सवाल यह है कि आइडियोलोजी के तौर पर यदि आप आजाद देश भी बना लेते हैं तो जिस तरह से दुनिया में बर्लिन की दीवार टूट गई, जैसे ईस्ट जर्मनी और वैस्ट जर्मनी मिल गये, यह कहा जा सकता है कि आज भी ऐसा हो सकता है कि भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश से लेकर अफगानिस्तान तक फिर से पूरा हिन्दुस्तान एक हो जाये। इसके लिए भविष्य में जो सम्भावनाएं हैं, उनको कोई नहीं देख सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें वह एरिया है, जिसे आज 'आज़ाद कश्मीर' कहते हैं। 'आज़ाद कश्मीर' का जो पॉपुलेशन है, वह लगभग 20 लाख के आस-पास है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I object. We cannot say 'Azad Kashmir'. It should be 'Pak Occupied Kashmir'. ...(*Interruptions*) Do not say 'Azad Kashmir' in this Parliament ...(*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुबे : मैंने यह कहा कि जिसे आज आज़ाद कहते हैं, उसे पाकिस्तान वाले 'आज़ाद कश्मीर' कहते हैं।...(व्यवधान) हम 'पाक ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर (पी.ओ.जे.के.)' कहते हैं।...(व्यवधान) 'पाक ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर' - इसे इस ढंग से लिया जाए।...(व्यवधान) मैं सुधार लेता हूं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : बी.जे.पी. के 'ऑर्गेनाइज़र' पेपर में ही उसका नक्शा बदला है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: 'पाक ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर (पी.ओ.जे.के.)' तो ठीक शब्द है।...(व्यवधान)

सर, वहां का सिचुएशन यह है कि वहां की लेजिस्लेटिव असेम्बली ने वर्ष 1974 में जो एक्ट पास किया है, उसके आधार पर वह हिन्दुस्तान का अंग होते हुए भी आज की तारीख में वह पूरा-का-पूरा पाकिस्तानी दबाव में है या उनके प्रशासन में है और वहां हम बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं।

दूसरा भाग, जिसे 'नॉर्दर्न टेरीटरी' कहते हैं। मैं इतिहास से बताऊंगा कि आज तक भारत ने कभी भी कोई एग्रेसिव प्रयास नहीं किया कि वह 'नॉर्दर्न टेरीटरी' जम्मू-कश्मीर का पार्ट हो। तीसरा जो पार्ट है, वह पाकिस्तान में गिलगित और बालतिस्तान का एरिया है, उसमें से लगभग 37,550 वर्ग किलो मीटर यानी 5,180 वर्ग मील की जगह उन्होंने दे दी है। कुछ ऐसे ज़गह हैं, जिस पर न उनका अधिकार है और न ही हमारा अधिकार है। आज जो भारत के साथ है, जो भारत का भाग है, जिसे हम 'जम्मू-कश्मीर' कहते हैं, वह लगभग 2,22,336 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि जम्मू-कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आपको अच्छी स्थिति में नहीं देखता है और उसे लगता है कि इस देश में जो कानून बना हुआ है, उसके अन्तर्गत हम विस्थापितों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक पेटीशन आया और वह पेटीशन श्री बच्चन लाल कल्गोत्रा ने दिया। इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा-

> "We are the most unfortunate section of the population of the sub-continent while India's Independence struggle of centuries blossomed into a new independent India followed by history's most barbarous communal holocaust, it landed us into the hell, that Jammu and Kashmir turned out to be for us. We are all Hindus and were living in West Punjab before partition. We had to migrate to J&K State to save our lives, honour and faith from rabid communal hounds of West Pakistan in 1947. "

यह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटीशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। उस जजमेंट की तारीख है 20 फरवरी, 1987। उसमें उन्होंने कहा-

> "In the circumstances, in view of the peculiar Constitutional position obtaining in the State of Jammu and Kashmir, we do not see what possible relief we can give to the petitioner and those situated like him. All that we can say is that the position of the petitioner and those like him is anomalous, and it is up to the Legislature of the State of Jammu and Kashmir to take action to amend legislation such as the Jammu & Kashmir Representation of the People's Act. "

यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रिफ्यूजी के मामले में यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है।

महोदय, जैसा मैंने आपको बताया कि कल जो हाउस में घटित हुआ, मुझे उससे प्रेरणा मिली। 22 फरवरी, 1994 को पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने एक रिजॉल्यूशन पास किया। यह यूनैनिमस रिजॉल्यूशन है। इसे सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर पास किया।

It says:

"This House note with deep concern Pakistan's role in imparting to the terrorists in camps located in Pakistan and Pakistan Occupied Kashmir, the supply of weapons and funds, assistance in infiltration of trained militants, including foreign mercenaries into Jammu and Kashmir with avowed purpose of creating disorder, disharmony and subversion:â€¦

On behalf of the People of India,

Firmly declares that-

(a) The State of Jammu and Kashmir has been, is and shall be an integral part of India and any attempt to separate it from the rest of the country will be resisted by all necessary means;

(b) India has the will and capacity to firmly counter all designs against its unity, sovereignty and territorial integrity; and demands that;

(c) Pakistan must vacate the areas of the Indian state of Jammu and Kashmir, which they have occupied through aggression; and resolves that;

(d) all attempts to interfere in the internal affairs of India will be met resolutely."

यह रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ। रेजोल्यूशन एडॉप्ट हो जाता है, हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आज तक उन विस्थापितों का, तीनों तरह के विस्थापितों के बारे में हमने कोई काम नहीं किया। मैंने पिछली बार भी अपना भाषण देते हुए कहा कि यूपीए की सरकार ने वर्ष 2008 में 1,618 करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन आज तक वह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस कारण से मैं इस पूरे केस की तह तक जाना चाहता हूँ कि फाइनली कश्मीर प्रॉब्लम क्या है? विस्थापितों को हम ले जाने की बात करते हैं, उसका प्रॉब्लम क्या है, कूवस ऑफ दी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोगों को वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ष 1990 के बाद से बेहताशा लोग भागे। आज आप देखिए कि कोई भी उठकर कह देता है कि पाकिस्तान जिन्दाबाद, कोई कहता है कि कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी नहीं बनने देंगे, कोई कहता है कि भारत विरोधी गतिविधि में लिप्त हैं। वर्षों-वर्षों से ऐसा हो रहा है, यह आज की कोई नई घटना नहीं है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और हमें लगता है कि जम्मू-कश्मीर की सरकार ही सब कुछ करेगी तो पार्लियामेंट क्या करने वाली है? यह पार्लियामेंट और सारे राजनीतिक दलों से मेरा सवाल है।

कई प्रकार की चर्चा हो रही है कि हम कॉलोनी कश्मीरी पंडितों की नहीं बनने देंगे। वे कहते हैं कि जैसे पहले रह रहे थे, आप वैसे ही रहिए, आपका उस तरह से स्वागत है। क्या सुरक्षा की कोई गारन्टी दे रहा है? मैं बताऊँगा कि किस तरह से बिना सुरक्षा की गारन्टी के लोग मारे जा रहे हैं या मरने को विवश हुए हैं या लोग भाग गए हैं। जो कश्मीरी पंडित हैं, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर के रिफ्यूजी हैं और पार्टिशन के बाद उनका जो दर्द है, वह उनके कैम्प्स में आपको बार-बार दिखाई देगा। यदि आप जम्मू के कैम्प्स में जाएंगे, दिल्ली के कैम्प्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरह की भी सिचुएशन भी किसी कंट्री में हो सकती है। हम सब स्वास्थ्य की खूब बात करते हैं, विकास की खूब बात करते हैं, लेकिन जो लोग विस्थापित हैं, जिनकी दुर्गति हो रही है, जो माइग्रेटिड हैं, विस्थापित हैं, उनके बारे में हम कभी भी खुलकर चर्चा करने का प्रयास नहीं करते हैं।

कश्मीर का एक बड़ा इतिहास रहा है। कश्मीर में जितने भी लोग इस कंट्री में पॉवरफुल हुए, उन्होंने कश्मीर को या तो कब्जा करने का प्रयास किया या वहां के लोगों को परेशान करने का प्रयास किया या वहां के जो ट्रेजर हैं, जो टूरिज्म है या जो वहां की आबोहवा है या जो वहां चीजें हैं, यदि आप देखेंगे तो कल्हण की राजतरंगिणी से नजर आता है कि 2449 बी.सी. में वहां जरासन्ध का राज हुआ करता था। इसका मतलब जो महाभारतकालीन चीजें वहां होती थीं, 2449 बी.सी. में उनका भी वहां ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: जरासंध मगध का नरेश था।

श्री निशिकान्त दुबे: सॉरी, महाभारत की बात कर रहे हैं, मगध का नरेश था। मगध के नरेश के बाद 273 से लेकर 232 बी.सी. तक अशोक डायनेस्टी वहां रही। ...(व्यवधान) वह मगध के राजा की बात कर रहे हैं। वह यह कह रहे हैं कि हम मैथलॉजी में न जाकर जो आम चीजें हो रही हैं, उसके बारे में कहें। 273 से 232 बी.सी. तक अशोक का राज रहा। उसके बाद कुषाण आया। यदि मैं गलती कर दूं तो महताब भाई आप मुझे बताते रहेंगे। इसके बाद 631 से लेकर 855 तक तक्षशिला का जो निर्माण हुआ, उसमें कश्मीर ने बड़ा रोल प्ले किया। मैं इस चीज को बड़ा करीब से जानता हूं, क्योंकि मेरा गांव विक्रमशिला है। उस समय तीन विश्वविद्यालय हुआ करते थे - नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मुझे गर्व है कि मैं विक्रमशिला में पैदा हुआ हूं। आज भी विक्रमशिला मेरा गांव है। एक जमाने में विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय दोनों विश्वविद्यालयों से बड़ा विश्वविद्यालय था। आज जिस नालंदा विश्वविद्यालय की बात माननीय कौशलेन्द्र जी और उनके मुख्यमंत्री करते हैं, एक जमाना ऐसा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को कंट्रोल करती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक इकाई के तौर पर वह काम करता था। अधीर जी आपके लिए सौभाग्य की बात है कि बंगाल के पाल वंश के राजा ने उसकी स्थापना की थी। इसके बाद वर्ष 855-939 तक का समय ऐसा रहा कि अवन्तीपुरा की स्थापना हुयी। इस देश को बनाने में, कश्मीर में जितने भी राजा, महाराजा, हिन्दू या जो भी गये, उन्होंने इसको बनाने का काम किया और वर्ष 855 से लेकर वर्ष 939 तक वह अवन्तीपुरा बना, जिसके अवशेष आज भी कश्मीर में दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वर्ष 1389 के बाद आया। जब सिकन्दर वर्ष 1389 के पहले वहां के राजा हुए, वहां कोई मुस्लिम शासन नहीं कर रहे थे। वहां सारे के सारे हिन्दू थे। थोड़े दिन पहले तक बुद्धिस्ट व्हीन चेंग वहां राज कर रहा था। यह सारी घटना वर्ष 1389 के बाद घटित होनी शुरू हुयी। सिकन्दर ने सबसे पहले कश्मीर में विस्थापन स्टार्ट किया। ...(व्यवधान) यह यूनान का सिकंदर नहीं है।...(व्यवधान) वह अफगान का सिकंदर था।...(व्यवधान) सिकन्दर ने सबसे पहले कश्मीर के हिन्दुओं को भगाने का काम किया। इसलिए विस्थापन का इतिहास वर्ष 1947, वर्ष 1989 या वर्ष 1990 नहीं है। यह इतिहास वर्ष 1389 से शुरू होता है। अशोका, कुषाण, हूण, अफगान, मुगल या ब्रिटिश हों, जितने राजा वहां हुए, जो भी लोग हुए, उन सबों ने कश्मीर पर राज करने का काम किया और लोगों को परेशान करने का काम किया। ...(व्यवधान) खड़गे साहब थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैं उन चीजों के बारे में इसलिए जानता हूं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं जानना चाहता हूं कि अशोक ने वहां पर कैसे तबाह किया है।

श्री निशिकान्त दुबे : अशोक ने तबाह नहीं किया। सबसे पहला जो तबाही स्टार्ट हुआ।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अभी आपने कहा कि वहां कौन-कौन से राजा हुए, इसको बनाने में उनकी जो मदद हो गयी, उनमें आपने अशोका का भी नाम लिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं।

श्री निशिकान्त दुबे: नहीं, मैंने कहा कि वहां पर किन-किन लोगों ने राज किया। मैं साल में तीन-चार बार कश्मीर जरूर जाता हूं। मैं पहले प्राइवेट क्षेत्र में काम करता था। एक मातृ बी.पी.ओ. श्रीनगर में चलता है, वह मेरे द्वारा चालू किया गया है जिसमें आज भी डेढ़ हजार लोग नौकरी करते हैं। इसीलिए कश्मीर के साथ मेरा बड़ा इमोशनल अटैचमेन्ट है। यह मेरा सिर्फ भाषण नहीं है। मैं वहां साल में करीब चार बार जाता हूं। वहां के लोगों को जितना मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, शायद बहुत कम लोग उनके बारे में जानते होंगे।

मार्तण्ड एक जगह है, जहां 'सन टेम्पल' है और वह ऐसी जगह है, जहां यदि आप तालाब में देखेंगे तो केवल मछली नजर आयेगी। वहां मुसलमान हो या हिन्दू हो, आज भी उन मछलियों को कोई नहीं खाता है। आपको घरों में मछलियां नालियों के माध्यम से जाती हुई नजर आयेंगी। सिकंदर ने उसको तोड़ने का प्रयास किया। अवन्तीपुरा में विश्वविद्यालय था, जहां शिक्षा दी जाती थी। वह पूरा का पूरा अवन्तीपुरा है, यदि आज आप वहां जायेंगे, यह जगह अनंतनाग कहलाता है, वहां हम सेन्दूल यूनिवर्सिटी दिए हुए हैं, उस पूरे इलाके को देखेंगे तो पता चलेगा कि सिकंदर ने उसको तोड़ने का प्रयास किया था। उसके बाद ललीत्य देव एक ऐसा राजा थे, जिन्होंने यह कहा कि हम पूरे कश्मीर के बाउन्ड्री को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कहीं न कहीं हमको परेशानी हो जाये और इसके

माध्यम से हमारे विरोधी और दुश्मन यहां आ सकते हैं। सिकन्दर ने ललीत्य देव के टेम्पल को डेमोलिश कर दिया। इसके बाद जब मुगल आए, आप मुगल गार्डन देखिए, निशात गार्डन देखिए, मुगलों ने विरोध के लिए सबसे भारी गलती की। मुगल केवल वहां एसगाह बनाकर जाते थे, रहते थे या उन्होंने अपना महल बना रखा था। अफगान लार्ड को भारत की सभ्यता, संस्कृति के साथ मतलब नहीं था।

मैं एक किताब लेकर आया हूं -- Kashmir - Behind the Vale, एम.जे. अकबर की लिखी हुई किताब है। उसमें उन्होंने लिखा है कि शेख अब्दुल्ला के दादा जी हिन्दू थे। इस किताब को आज तक न उनकी फैमिली और न ही किसी और व्यक्ति ने चैलेंज किया। इसका मतलब यह है कि कश्मीर में रहने वाले आज जितने लोग हैं, वे कहीं न कहीं इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। वे इन्हीं सब कारणों से कन्वर्ट हुए।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: इतिहास कहता है कि भारत भूखंड में कश्मीर ही एक जगह है जहां दो बार कन्वर्शन हुआ है। दो बार कन्वर्शन इस्लाम में हुआ है। पहली बार जैसे आपने कहा कि सैवन्थ सैंचुरी में कन्वर्शन हुआ था, फिर दुबारा वे हिन्दू धर्म में लौटे थे। दूसरी बार 13वीं और 14वीं सैंचुरी में कन्वर्शन हुआ। भारत में कहीं दूसरी जगह इस तरह नहीं हुआ।

श्री निशिकान्त दुबे: उपाध्यक्ष महोदय, आज की मॉडर्न हिस्ट्री ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर से शुरू होती है। ट्रीटी ऑफ लाहौर मार्च 9, 1846 ईस्वी और ट्रीटी ऑफ अमृतसर मार्च 16, 1846 ईस्वी को हुआ। ट्रीटी ऑफ लाहौर कहता है --

> "The British Government having demanded from the Lahore State, as indemnification for the expenses of the war, in addition to the cession of territory described in Article 3â€¦â€¦"

उसी के बाद 16 मार्च को ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ जिसमें उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने गिलगित बालटिस्तान को अपना कर्ज उतारने के लिए सौंप दिया। ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, उसमें से गिलगित पाकिस्तान चला गया। जो गिलगित बालटिस्तान उन्होंने ब्रिटिश को दे दिया, उसके इतिहास का कारण यह है कि गिलगित बालटिस्तान का एरिया हमें साउथ, सैंट्रल और ईस्ट एशिया से जोड़ता है। यूरोप और एशिया का मिलन स्थल वही है। यही कारण है कि पाकिस्तान, भारत, चाइना और अफगानिस्तान जिस बार्डर पर आते हैं, वह गिलगित और बालटिस्तान का एरिया है। गिलगित और बालटिस्तान में जितने माइन्स और मिनरल्स हैं, शायद बहुत कम जगह होंगे। यही कारण है कि वह बोन ऑफ कंटैंशन है। चाइना या और देश हों जो इस देश को कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश करते हैं, वह इसके ऊपर निर्भर है। उसका एरिया 72,946 स्कवायर किलोमीटर है। इसमें भारत सरकार की नीति रही है कि जब सैंट्रल एशिया रूस से परेशान हो गया और ब्रिटिश गवर्नमैंट को लग रहा था कि रूस भारत में घुसने का प्रयास करेगा तो 1860 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने जॉन विडुलप को एक एडमिनिस्ट्रेटर को तौर पर वहां ऐप्वाइंट किया। उसने प्रयास किया कि हम किस तरह रूस को रोकें। गिलगित एजैंसी के नाम से मार्च 26, 1935 को महाराजा हरि सिंह ने एक एग्रीमैंट साइन किया। वह एग्रीमैंट बड़ा खूबसूरत है। मैं आपको बताऊं कि किस तरह से देश या राज्य बेचने का काम हो रहा था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिना किसी से पूछे लीज़ एग्रीमैंट हो गया। लीज़ एग्रीमैंट कहता है --

> "The Viceroy and Governor General of India may at any time after ratification of this agreement assume the civil and military administration of so much of the Wazarat of Gilgit Province of the Jammu and Kashmir as lies beyond the right bank of the river Indus, but notwithstanding anything in this agreement the said territory shall continue to be included within the domain of His Highness the Maharaja of Jammu and Kashmir."

लेकिन यह पूरा राइट ब्रिटिश लीज़ के तौर पर करेंगे क्योंकि गिलगित बालटिस्तान पर अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि वह हमारा पार्ट है या नहीं। जब 1949 में सीज़फायर एनाउंस हुआ, उससे पहले मैं बताऊं कि 4-5 ऐसे एग्रीमैंट हैं जो कश्मीर प्रॉब्लम के लिए एक बड़ा सवाल हैं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कई लोग कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह का कितना अधिकार था, महाराजा गुलाब सिंह का कितना अधिकार है। मैं इस सदन में केवल दो उदाहरण देना चाहूंगा। हिस्ट्री ऑफ युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका में अमरीका का अलास्का प्रांत उसने रूस से खरीदा। आज अमरीका का जो टैक्सास प्रांत है, वह स्पेन से खरीदा गया। इसलिए यह थ्योरी है कि खरीदी हुई जमीन पर क्या बात हो सकती है, उनका क्या अधिकार था, लोगों को क्या बातें दी गईं। हम यूएन में गए, उससे यह दो उदाहरण समझने के लिए काफी हैं कि अमरीका ने अलास्का प्रांत रूस से खरीद लिया और स्पेन से टैक्सास प्रांत खरीद लिया। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती और पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर के लिए चर्चा होती है। उस चर्चा के पीछे ब्रिटिश जिम्मेदार हैं।...(व्यवधान) इसमें एक-दूसरे को भड़काने के लिए जो सिचुएशन पैदा होती है, उसमें वहां के आम हिन्दू परेशान होते हैं। कर्जन की थ्योरी - बांटो, राज करो या टू नेशन थ्योरी आदि किस तरह इम्प्लीमैंट हुई। जब महाराजा हरि सिंह का बहुत ज्यादा राज था तो वहां मुस्लिम कौंफ्रैंस का उदय हुआ। वहां मुस्लिम कौंफ्रैंस एक पार्टी बनी।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: This part of the Private Member's Business will be over at 4.30 p.m. So, you should try to be brief so that others may also get an opportunity to participate in the debate.

श्री निशिकान्त दुबे: मुस्लिम कौंफ्रैंस का शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का मार्च 26, 1938 का भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। हम सतही डिसकशन कर लेते हैं उसकी तह पर नहीं जाते। उन्होंने कहा --

> "I reiterate today, that I have said so often, firstly we must end communalism by ceasing to think in terms of Muslim and non-Muslim when discussing our political problems."

इस कारण मुस्लिम कौन्फ्रैंस से अलग होकर नेशनल कौंफ्रैंस बना। मैं बता रहा हूं कि इस देश में क्या-क्या हुआ। आपको पता है कि कश्मीर हमारे लिए कितना इमोशनल विषय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डैथ कश्मीर में हुई। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. जोशी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, युवा मोर्चा के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की और श्रीनगर पर झंडा फहराने का प्रयास किया।...(व्यवधान) इन दोनों के बीच जब लड़ाई हुई और मुस्लिम कौंफ्रैंस और नेशनल कौंफ्रैंस बना तो उसमें जिन्ना ने सैपरेट होमलैंड और मुस्लिम लैंड की वकालत की। लीगल डॉक्यूमैंट मार्च 22, 1940 का है। हिन्दुओं को बाहर करने के लिए किस तरह की पॉलिसी धीरे-धीरे इम्प्लीमैंट हुई, यह 22 मार्च, 1940 का डॉक्यूमैंट है। इस डॉक्यूमेंट में जिन्ना साहब कहते हैं कि "â€¦"autonomous national States." There is no reason why these States should be antagonistic to each other. That is why we need two nations." 22 मार्च, 1940 का मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भाषण है। इसके आगे उन्होंने कहा "Muslims of India cannot accept any Constitution, which must necessarily result in a Hindu majority Government. Hindus and Muslims brought together under a democratic system forced upon the minorities can only mean Hindu *Raj*." यह उनका माइंडसेट था और उसी से इस राज्य की नींव पड़ी। वर्ष 1944 को उन्होंने एक बड़ा जोरदार भाषण दिया जिससे पता चलता है कि उस समय किस तरह से इस्लामाइजेशन हो रहा था। उन्होंने कहा कि "I, after careful consideration, suggested that the *Mussalmans* should organize themselves under one flag and on one platform, not only my advice was not acceptable to Sheikh Abdullah but, as is his habit â€¦".बाद में यह सही साबित हुआ, जिन्ना साहब अब्दुल्ला साहब के बारे में जो बात कह रहे थे वह सही साबित हुआ। जिस तरह के अकॉर्ड हुए हैं, मैं सारे अकॉर्ड पर भी आऊंगा। यह बात साबित हो गई कि वर्ष 1944 में जिन्ना साहब ने कश्मीर के बारे में जो कहा था आज ठीक उसी तरह का सिचूऐशन डेवलप हुआ है। जब पार्टिशन होने लगा तो उसमें पार्टियों का क्या रुख था? वहां एक बड़ी पार्टी किसान मजदूर कांफ्रैंस थी। उसने 5 सितम्बर, 1947 को एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें कहा गया "The overwhelming majority of Kashmir's population is Muslim. The State is contiguous with Pakistan territories. All the three big highways and all the rivers of the State go into Pakistan. For these reasons the Working Committee is of the opinion that the State should cede to Pakistan." यदि सही में ऐसा था तो बंटवारे के समय बांग्लादेश एक अलग देश कैसे हो गया? उसकी पाकिस्तान के साथ कोई सीमा भी नहीं जुड़ती है। एक कश्मीर सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसने 18 सितम्बर, 1947 को अपना रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें कहा गया कि हम लोगों को पाकिस्तान में चले जाना चाहिए या मुस्लिम राज्य बना देना चाहिए। महाराजा ने एक लेटर भेजा, यह कश्मीर के लिए बहुत इम्पोर्टैंट है, उन्होंने 26 अक्तूबर, 1946 को माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी,

उसमें उन्होंने लिखा "I wanted to take time to decide to which Dominion I should accede, or whether it is not in the best interests of both the Dominions and my State to stand independent, of course with friendly and cordial relations with both. I accordingly approached the Dominions of India and Pakistan to enter into Standstill Agreement with my State. The Pakistan Government accepted this Agreement. The Dominion of India desired further discussions with representatives of my Government. I could not arrange this in view â€¦".इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने मान लिया, लेकिन भारत ने नहीं माना। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो उन्होंने कहा वह बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पाकिस्तान से स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहते थे, वह एग्रीमेंट साइन हो गया, लेकिन अब कश्मीर की क्या सिचूऐशन है? कश्मीर का सिचूऐशन यह है कि "With the conditions obtaining at present in my State and the great emergency of the situation as it exists, I have no option but to ask for help from the Indian Dominion. â€¦ I am also to inform your Excellency's Government that it is my intention at once to set up an interim Government and ask Sheikh Abdullah to carry the responsibilities in this emergency with my Prime Minister." पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, यह महाराजा का लीगल डॉक्यूमेंट कहता है। भारत ने कभी भी उसको ब्लैंकेट परमिशन नहीं दी थी। इसके बाद इतिहास गवाह है कि हम लोग यूएन में चले गए। यू.एन. में जाने के बाद एक रेजोल्यूशन नये कश्मीर का आया। अब नया कश्मीर क्या कह रहा है, नये कश्मीर का रेजोल्यूशन क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि वहां किस तरह से इस्लाम डेवलप हुआ और किस तरह से हिन्दू भाग रहे हैं। नया कश्मीर कह रहा है कि--

> "We the people of Jammu and Kashmir, Ladakh and the Frontier regions, including Poonch and Chenani Illaqas commonly known as Jammu and Kashmir State in order to perfect our union in the fullest equality and self-determination to raise ourselves and our children forever from the abyss of oppression and poverty, degradation and superstitionâ€¦, to propose and propound the following constitution of our State."

This is the Constitution of Jammu and Kashmir only. उसका भारत सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। किस तरह से उन्होंने अपने स्टैंड को चेंज किया। मैंने आपको बताया कि महाराजा हरि सिंह जी ने जो चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी लिखने के बाद शेख अब्दुल्ला साहब ने भी 26 सितम्बर, 1947 को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि आप हमारी मदद के लिए आइये। जब भारत सरकार वहां पहुंची, तो कांग्रेस की गलतियों के कारण, क्योंकि मैं इसमें नेहरू-लियाकत पैक्ट की भी बात करूंगा। यूनाइटेड नैशंस में 13 अगस्त, 1948 को एक रेजोल्यूशन हुआ। धारा 370 के बारे में बात होती है कि किस तरह से भारत सरकार उस पर लागू नहीं हो सकती। यू.एन. का जो 13 अगस्त, 1948 का रेजोलूशन है, वह यह कह रहा है कि उसने सीज फायर का आर्डर किया कि दोनों पार्टीज सीज फायर करे। दूसरा उसने कहा कि --

> "As the presence of troops of Pakistan in the territory of the State of Jammu and Kashmir constitutes material change in the situation since it was represented by the Government of Pakistanâ€¦"

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। निशिकांत जी हमें पूरी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हम उसे सुनेंगे, लेकिन हिस्ट्री में जो भी गलतियां हैं, उन्हें महताब साहब निकाल रहे हैं। वह ठीक हो रहा है और दुरुस्त भी हो रहा है, लेकिन आपका रेजोलूशन यह है --

> "This House urges upon the Government to take immediate steps for rehabilitation and welfare of Displaced Persons from Kashmir, who are living in various parts of the country in a pitiable condition."

असल में आपका यह रेजोलूशन है। अगर आप हमें यह अवगत करा दें कि आपकी सरकार क्या स्टेप ले रही है, क्या मदद करने वाले हैं, किस ढंग से उनको मकान दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे है, स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं? आप इस बारे में हमें बताइये। अगर आप अकबर, बीरबल से लेकर पूरी कहानी बताते गये, तो उसे हम कब तक सुनेंगे? आपकी इंटैंशन डिसप्लेस्ड पर्सन्स को मदद करने की है, लेकिन आपको पूरी कहानी बताते हुए 40 मिनट हो गये हैं। मैं आपकी तकरीर के बाद बाहर जाने के लिए सोच रहा था। (व्यवधान) मैं आपकी तकरीर सुन रहा हूं। ...(व्यवधान) हम सोच रहे थे कि 40 मिनट में आपकी बात खत्म हो रही है, तो हम दो मिनट बाहर जाकर फिर अंदर आयेंगे। लेकिन 40 मिनट तक आपकी हिस्ट्री ही चल रही है, रिहैबिलिटेशन नहीं चला। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : अभी हम वर्ष 1949 तक आये हैं। ...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : आजादी के बाद क्या हुआ, उस पर आप बोलिये। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप रिहैबिलिटेशन की बात कीजिए, झगड़े की बात मत कीजिए। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: मैं इसी पर आ रहा हूं। मेरा यह कहना है कि इतिहास में कहां-कहां भूल हुई। खड़गे साहब ने बड़ा अच्छा कहा और याद दिला दिया कि कश्मीर की प्रॉब्लम क्यों डेवलप हुई? मेरे पास पूरा लैटर है, जो 22 दिसम्बर, 1947 को लियाकत खान और नेहरू के बीच डिसकशन हुआ। इस डिसकशन का कोई मतलब नहीं निकला। माउंटबेटन ने अपनी किताब में लिखा है। कई लोग कहते हैं कि जब अनुच्छेद 370 आ रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया और अनुच्छेद 370 हो गया। इसके पीछे तथ्य यह है कि लियाकत अली खान और नेहरु जी के बीच जो डिसकशन चल रहा था, उसका लैवल इतना घटिया और नीचा था कि कभी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं लगा कि लियाकत अली खान और नेहरु जी एक टेबल पर बैठकर नेगोशिएशन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। 1950 में एग्रीमेंट साइन हुआ और उसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मंत्रिमंडल से निकलना पसंद किया। उनको लगा कि कश्मीर के लिए अलग लाइन लेनी चाहिए। उसके बाद जो कुछ हुआ, इतिहास उसका गवाह है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, यदि आप नहीं चाहते तो मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। जब इस तरह की बातें हुई, नेहरु जी और लियाकत अली खान में से कोई बात करने को तैयार नहीं थे तो कहां गलती हुई। लियाकत अली खान और नेहरु जी का एग्रीमेंट 8 अप्रैल, 1950 को हुआ। यह एग्रीमेंट कहता है - "Complete equality of citizenship irrespective of religion, a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honour, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship subject to law and morality." यह एग्रीमेंट साइन हुआ। अब इस तरह की बात चल रही है कि हम कश्मीर में आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान चाहते हैं, हिंदुओं को नहीं ले जाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके बारे में आपका क्या रुख है?

फरवरी, 1950 में नेहरु जी इससे भी आगे बढ़े, उन्होंने कहा- "The Government of India and the Government of Pakistan hereby declare that they will not resort to war for the settlement of any existing or future dispute between them." जब दोनों ने डिक्लेरेशन किया तो बार-बार पाकिस्तान से बात करने के लिए क्यों कह रहे हैं? जब लियाकत अली खान और देश के प्रधानमंत्री से बातचीत हो गई तो आपने क्यों दोबारा बात करने का प्रयास किया? यह डिक्लेरेशन है। इसके बाद 1959 में ज्वाइंट डिफेंस की बात आई, अयूब खान ने कहा - "That it was of vital importance to Pakistan and India as independent sovereign States will collaborate a friendly atmosphere without any dispute." मेरा कहना है कि जो डिस्प्यूट नहीं है, आप उसे उठाकर क्यों लाते हैं? आप समझौता कर सकते थे, आप पाकिस्तान को परेशान कर सकते थे, जहां की चीजें अपने हक में वापस ला सकते थे। आपने पीओजेके एरिया, पाकिस्तान के एरिया के लिए क्या किया? आपने 1966 में ताशकंद डिक्लेरेशन में कई चीजों को फोरफीट कर दिया। इसमें आपने कहा - "Non-interference in the internal affairs of each other" इसमें आपने हाजी पीर बल कश्मीर को कन्सीड कर दिया। जहां हम 1965 की वार जीते थे, 1966 की वार जीते थे, यहां की चीजें हमारे साथ आ सकती थी। यह इतिहास है। आपने मिलिटेंट्स को, जमात इस्लामी टाइप आर्मी को, गिलानी टाइप आदमी को, मौलवी फारुख जैसे आदमी को इस तरह से कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फारुख अब्दुला की सरकार, जिसके साथ आप वर्षों तक सरकार चलाते रहे हैं, ने 1989-90 की पालिसी इस तरह की कि 70 डेडिट ट्रायल टेररिस्ट को छोड़ दिया। 500 ऐसे गांव थे, जिसका नामकरण हुआ, हिंदू गांवों का नाम चेंज हुआ। यह इतिहास कहता है।

यही कारण है कि 1990 के बाद वहां हिंदुओं का माइग्रेशन शुरु हुआ। इसके बाद 1972 का एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट की बहुत बात हुई। शिमला एग्रीमेंट के कारण पूरी सिचुएशन 1975 में खत्म हुई। उपाध्यक्ष जी, मैं शिमला एग्रीमेंट के समय की बात कर रहा हूं। आप उरी सैक्टर जब पहुंचे, उरी के बाद कौन सी ऐसी स्थिति थी कि आपने सीज फायर कर दिया? उरी के पास नहीं जाने के लिए आपको किन फोर्सेज ने रोका? इसका जवाब मैं भारत सरकार से जानना चाहूंगा कि तत्कालीन सरकार ने शिमला एग्रीमेंट के पहले उरी सैक्टर के बाहर जाने का फैसला क्यों नहीं किया? इसके बाद जो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री एटली साहब थे, उस वक्त के प्रधान मंत्री जी की उनके साथ क्या बातचीत हुई? क्या ऐसी चीजें थीं जो यू.एन. में जम्मू-कश्मीर के मामले को ले जाने के लिए आप तैयार हो गये? इसके बाद मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो स्थिति पैदा हुई, जिन्ना के बाद...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Mr. Deputy-Speaker, Nishikantji is touching upon a very soft nerve of this country, a very soft nerve. आप 1971 तक आ चुके हैं, आप आगे बढ़िए और पीछे मत जाइए।...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): देखिए, हमारे यहां वक्ता एक से एक बढ़कर हैं। इसलिए चुनौती मत दीजिए।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : इसमें जो 1975 था, महताब भाई, आपको पता होगा कि शेख अबदुल्ला साहब के साथ जो दो एकार्ड हुए तो दो एकार्ड की मैं बात कर रहा हूं कि क्या ऐसी स्थिति थी जबकि आपको शेख अबदुल्ला साहब के साथ दो दो एकार्ड साइन करने पड़े ? इसका जवाब आप दीजिएगा कि क्या ऐसी स्थिति थी?...(व्यवधान) तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी साहब को अप्रैल 1921 में माननीय जगमोहन जी ने चिट्ठी लिखी और वह चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है और इस देश को उसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि आप वही सुनना चाहते हैं तो मैं उसी पर आता हूं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा:

> "Need I remind you that from the beginning of 1988, I had started sending warning signals to you about the gathering storm in Kashmir?

ये जगमोहन साहब तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को लिख रहे हैं।

> "But you and the power wielders around you had neither the time, nor the inclination, nor the vision to see these signals. They were so clear, so pointed, that to ignore them was to commit sins of true historical proportions. To recapitulate and to serve as illustrations, I would refer to a few of these signals."

यह उन्होंने चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के बाद उन्होंने अगला बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य लिखा: मैं पूरी चिट्ठी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वह 40-50 पृष्ठ की चिट्ठी है। उसके कुछ ही महत्वपूर्ण प्वाइंट्स मैं पढ़ रहा हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : आप वे 40-50 पेजेस पढ़िए न।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: मैं उनमें से कुछ ही पढ़ रहा हूं।

> "You, perhaps, never cared to know that all the components of the power structure had been virtually taken over by the subversives. For example, when Shabir Ahmed Shah was arrested in September 1989, on the Intelligence Bureau's tip-off, Srinagar Deputy Commissioner flatly refused to sign the warrant of detention."

यह आप समझिए कि जम्मू-कश्मीर की हालत क्या थी?

> "Anantnag Deputy Commissioner adopted the same attitude. The Advocate-General did not appear before the court to represent the state case."

देश के प्रधान मंत्री को वहां के गवर्नर चिट्ठी लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सुनना ही नहीं चाहते। आप कश्मीर के विस्थापितों की क्या बात करेंगे जब वहां कोई आदमी लौटेगा ही नहीं, उसके कारण तक आप जाएंगे ही नहीं तो आप किस विस्थापित की बात करेंगे? वे तो जम्मू में रह रहे हैं, कैम्प में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह पर उनका एडमिशन करवा दिया है तो कोई पुणे में पढ़ रहे हैं, मुम्बई में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं। कोई अमेरिका में रह रहे हैं। आप यह बताइए न कि किस कारण से ये गये और अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्होंने आगे लिखा। महताब साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात धारा 370 के लिए लिखी है और यह सब रिकार्ड का विषय है।

> "You created a scene on March 7, 1990, at the time of the visit of the All Party Committee to Srinagar, and made it a point to convey to the people in 1986 I wanted to have Article 370 abrogated."

At that critical juncture, when I was fighting the forces of terrorism with my back to the wall beginning to return to the corner after frustrating and sinister design of the subversaries from January 26, 1990 onwards. What I had really pointed out in August-September 1986 was: Article 370 is nothing but a breeding ground of the parasites at the heart of the paradise. It skins the poor. It deceives them with its mirage. It lines the pockets of power elites. It fans the egos of the new Sultans. In essence, it creates a land without justice, a land full of crudities and contradiction. It props up politics of deception, duplicity and demogogy. It breeds the microbes of subversion; it keeps alive the wholesome legacy of the two-nation theory. It suffocates the very idea of India and fogs the very vision of the great social and cultural crucible from Kashmir to Kanyakumari. My stand was that poor people of Kashmir had been exploited under the protective wall of Article 370 and the current position needed to be explained to them.' यह जगमोहन साहब ने लिखा है।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : जगमोहन साहब ने तो गोली चलाकर जम्मू-कश्मीर की स्थिति को पूरा बिगाड़ दिया था। उन्हीं की कोटेशन आप पढ़ रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: यदि जगमोहन नहीं होते तो यह देश आज ऐसा नहीं होता।...(व्यवधान)

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह) : सौगत राय जी, यह आपकी राय हो सकती है, यह देश की राय नहीं है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: वर्ष 1975 के बाद से रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा दिया गया। सय्यैद अली शाह गिलानी जो कि आज भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा उठा रहे हैं, उसे बढ़ाने में उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, चाहे जम्मू-कश्मीर की सरकार रही हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, दोनों सरकारों ने उसे बढ़ाने का काम किया। अभी जो गुलाम नबी फई अरेस्ट हुए, किस तरह से इन लोगों ने इंटरनेशनली इन चीजों को लाया, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे चाहते हैं और कहते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया चाहती है कि वहां

पूरा का पूरा इस्लाम पहुंच जाए। इसका कारण यह है कि वहां जो फंड आ रहा है चाहे वहाबी के नाम पर, चाहे साउदी के नाम पर जिस तरह के फंड आ रहे हैं, चाहे इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पर अयातुल्ला खुमानी के आदमी आते हैं, जिस तरह से लोग पकड़ाते हैं, वह इसका पूरा उदाहरण है। जब गिलानी साहब अपनी चीजों को जमाते इस्लामी पूव नहीं कर पाए तो आजकल एक नया आर्गेनाइजेशन " जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन " बन गया है। कश्मीर के विस्थापितों को वहां जाने के लिए क्या-क्या कठिनाइयां हैं, मैं उनके विषय में बता रहा हूं।

जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट ने रविन्द्र महात्रे की हत्या की है। रविन्द्र महात्रे हमारे डिप्लोमेट थे। आपको याद होगा कि यू.के. में उन्हें गोली मार दी गई। उनकी अगर पूरी कहानी जाननी हो तो हासिम कुरैशी जो कि जे.के.एल.एफ. के बड़े नेता हुआ करते थे, जिन्होंने वर्ष 1971 में प्लेन हाईजैक किया था, उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान यह चाहता है कि भारत में इसी तरह की स्थिति बनी रहे और इस तरह से पूरी दुनिया चाहती है कि भारत में ऐसी स्थिति बनी रहे। वहां के जो लोकल लोग हैं, वे कभी भी अपने राज्य में वापिस नहीं जा पाए। ऐसा हासिम कुरैशी की, जम्मू-कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट की पूरी स्टोरी है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude early. Other Members also have to speak.

श्री निशिकान्त दुबे: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।...(व्यवधान) डॉ. जितेन्द्र सिंह आपको संबंधित चीजों के बारे में बताना चाहते हैं।...(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि 14 सितम्बर, 1966 को मकबूल बट ने सिक्योरिटी इंस्पेक्टर अमर चंद को गोली मारी गई। इंस्पेक्टर अमर चंद की मृत्यु हो गई और उसके बाद पाकिस्तान चला गया। उसके बाद उसने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक किया। आखिरकार भारत सरकार ने उसे कब्जे में लिया और वर्ष 1984 में फांसी दे दी गई। जब उसे फांसी दे दी गयी, तो कश्मीर में काफी हंगामा हो गया। उस वक्त श्री फारूख अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस का नहीं पटता था। यही कारण था कि उनके जो बहनोई गुलाम मोहम्मद गुलशा थे, उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद पूरा कश्मीर कर्फ्यू में थका रहा, छिपा रहा। वहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था। जिसके बारे में अभी श्री सौगत राय साहब बता रहे थे कि यहाँ से जगमोहन साहब भेजे गये, लेकिन वे चूंकि इस देश में कश्मीर को रखना चाहते थे, उनको यहाँ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, मैं इसलिए इस चीज को जानता हूँ क्योंकि उस वक्त जो वहाँ डीआईजी थे श्री एन.के. तिवारी, जिसके बारे में श्री जगमोहन जी पचासों बार 'फ्रोज़न टर्बुलेंस इन कश्मीर' में जिक्र किया है, वे मेरे मामा हैं और वे आज भी जिन्दा हैं। उनको कितनी गोलियाँ लगी थी और उन्होंने किस तरह से काम किया है, मुझे इसके बारे में पूरा पता है। मैं यह कह रहा हूँ कि आज सिचुएशन यह है कि वहाँ कश्मीरी पंडितों को जाना चाहिए और वहाँ पर बसना चाहिए। मैं केवल तीन उदाहरण देना चाहूंगा कि इस परिस्थिति में कश्मीरी विस्थापित इस 1618 करोड़ रुपये के पैकेज को लेकर कैसे रह सकते हैं? पहला उदाहरण है श्री सर्वानन्द कौल का, अनन्तनाग में सोफसाली विलेज है, वहाँ वे टीचर थे और बहुत ही फेमस टीचर थे। आप यह समझिए कि क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, पूरे अनन्तनाग में उनसे बढ़िया कोई टीचर नहीं था। जब लोग वहाँ से भागने लगे, लोगों को जब विस्थापन का शिकार होना पड़ा, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक टीचर हूँ और मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मैंने तो सभी हिन्दू-मुसलमानों को पढ़ाया है। लेकिन उन्हें 28 अप्रैल, 1990 को पूरे परिवार के साथ मार दिया गया और आज तक उन्हें और उनके परिवार को मारने वाला नहीं पकड़ा गया है। मैं एक टीचर की बात कह रहा हूँ।

दूसरा उदाहरण है, श्रीनगर के एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज में इसी तरह से एक टीचर थे और उनका लड़का डॉक्टर था। सर, मैंने नाम के साथ कहा है। उन्होंने भी जाने से मना कर दिया। वे भी इसी तरह से रहते थे। उनको भी लगता था कि हिन्दू क्या, मुस्लिम क्या, कश्मीर की संस्कृति क्या, हम लोग सभी यहाँ रह सकते हैं। उनको भी गोली मार दी गयी।

तीसरा उदाहरण बडगाम तहसील के ओमपुरा विलेज़ का है। वहाँ के दीनानाथ ओमपुरी जी का उदाहरण है। उनके पुत्र भारत भूषण शेरे कश्मीर मेडिकल कॉलेज में काम करते थे। वे एक छोटे-से इम्प्लाई थे। आप कह रहे हैं कि लोगों को बस जाना चाहिए, हम लोग कोई बात नहीं कह रहे हैं। यह तीसरा उदाहरण है जिसमें लोग मर गये। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से हजारों-हजार लोग मारे गये हैं। वे इसलिए मारे गये थे, एक तरफ तो उनको यह कहा जाता है कि यदि आप हिन्दू हैं, मैं यह नहीं कहता कि मुसलमानों का विस्थापन नहीं हुआ है, जब लड़ाई होती है, जब मैंने अभी भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की बात कही कि धर्म के आधार पर कोई देश या राज्य नहीं बंट सकता क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को फाइनली अलग-अलग होना पड़ा। लेकिन जो सिचुएशन डेवलप हुआ, उसमें जो वहाँ पर रहने वाले खासकर हिन्दू हैं, उन लोगों को लगता है कि ये भारतीय सेना के मुखबिर हैं या सीआरपीएफ या बीएसएफ के मुखबिर हैं और वहाँ के लोकल लोगों को उन पर भरोसा नहीं होता है। इस कारण से उनको वहाँ से हटना पड़ता है और जो कश्मीर के लोग हैं, जो एफिलेंट क्लास के हैं, उनको अपने बच्चे को पढ़ाना होता है, तो उनको लगता है कि हमेशा कर्फ्यू होगा या इस तरह की चीजें होगी, तो जम्मू रीज़न का पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए न इसका फायदा हिन्दुओं को हो रहा है और न मुसलमानों को हो रहा है। माइग्रेशन एक बड़ा सवाल बन गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है और डिमांड है कि कुछ चीजें इस सदन को अपने ध्यान में लेना चाहिए।

16.00 hrs

Displaced persons who opt to return should be provided land, housing grant and loans to develop their own settlements, large enough to be able to have community sense and social security to re-develop their cultural and religious centres as well as infrastructure for overall development. यह आज की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने चीजों को बढ़ाया है, जिस तरह से इस सिचुएशन को बढ़ाया है, मैं यदि इस किताब को कोट करूंगा तो मैंने पहले जैसा कहा था, 70 ट्रेंडेड टेररिस्ट्स को छोड़ा गया। आपने गलती की है। जुलाई और दिसम्बर, 1989 में 70 ट्रेंडेड टेररिस्ट्स को तत्कालीन फारुख अब्दुल्ला सरकार ने रिलीज किया था। उसी तरह से 500 गावों के नाम हैं, मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दे रहा हूं क्योंकि वहां सरकार ने जो सिचुएशन डेवलप की, उसे देखिए। इसमें 500 गांवों के नाम हैं। यह पूरा देखिए, जो उनका नोटिफिकेशन है, वह नोटिफिकेशन मैं लेकर आया हूं। किस तरह से हिन्दू वहां से भागे हैं, इसका एक बड़ा सवाल इस तरह से है। उसके बाद जब वे वहां रहेंगे, such large settlements may be developed near the main business and administrative centres like Srinagar or around the religious places which have been the cementing force of the community. जैसे वहां खीर भवानी है, मार्तण्ड है, अवन्तिपुरा है, अमरनाथ है, गोकरनाग है, बैरीनाग है, इस तरह की जो जगहें हैं, वहां आप यदि उनको बसाएंगे तो उसके साथ उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ नजर आएगा। Such settlements may be extension of the present cities or towns and need not be exclusively populated. It is the duty of the Government to ensure that separatist elements and terror groups do not interfere with the affairs of the displaced returnees and do not issue threats or dictate terms about settlements or political or social views of Kashmiri Pandits. जो की आज हो रहा है। यहां से रिजोल्यूशन लेकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। It is more important that not only the Government but also other political parties in nation and in Kashmir should not be influenced by the threats of propaganda unleashed by the fundamentalists and to be committed to the peaceful and practical settlement of Kashmiri displaced persons and all Hindus who may have migrated before 1989. A clear and definite space has to be created in Kashmir valley for all minorities to live in peace and honour. इसीलिए मेरा इस सभा से आग्रह है कि जो तीन तरह के विस्थापित हैं, जो लोग 1990 के बाद से, खासकर वर्ष 1982 के बाद विस्थापित हुए हैं, जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी भारत सरकार और राज्य सरकार ने जिनका संज्ञान नहीं लिया है, पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे एरियाज जो इललीगली पाक ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर का पार्ट है, अक्साई चिन है, नॉर्दन रेंज है, गिलगित-बाल्टिस्तान का एरिया है, इन सभी एरियाज को वापस लाने के लिए प्रयास होना चाहिए। फिलहाल, इन विस्थापितों के पुनर्वास के साथ-साथ, संविधान में एक आर्टिकल 370ए जोड़ना चाहिए कि जिस तरह से जम्मू-कश्मीर एसेम्बली में पाक आक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, उसी तरह से यहां सेंटर में भी उनकी सीट्स रिजर्व हों, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन इस पार्लियामेंट में नजर आए, जिससे हमारे जैसे लोगों से ज्यादा वे अपने दुख-दर्द को बयां कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात पूरी करूंगा।

महोदय, मैं निशिकांत दुबे जी द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण संकल्प, कश्मीरी हिन्दू कहें, कश्मीरी पंडित कहें, उन विस्थापितों की पुनर्वापसी के संकल्प के साथ अपने आपको प्रतिबद्ध करता हूं, उसका समर्थन करता हूं।

महोदय, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, आन्दोलनों में जेल गया और इस नारे के साथ ही मैं इस पार्टी में आया और आज इस सदन में खड़े होकर बोल रहा हूं। डेढ़ हजार किलोमीटर से ज्यादा दूर का एक नौजवान सिर्फ कश्मीर के भूगोल से नहीं जुड़ता, मैं अपने जीवन में उसके पहले कभी कश्मीर नहीं गया, लेकिन वह दर्द मेरे जैसे लोगों के मन में

था। इसलिए मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि जिसकी वह जन्मभूमि है, जो वहां पैदा हुआ है, वह उससे बाहर इस देश में निर्वासित है, उसके मन में वापसी के लिए कितना दर्द होगा, पहले इस पर विचार होना चाहिए।

मैं यह सब पढ़ता था, लेकिन यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसी को कोई इतिहास नहीं पढ़ाना चाहता। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं किसी को इतिहास की दुहाई नहीं देना चाहता, वे पढ़ें जिन्हें कागजों से या आंकड़ों से खेलना है। लेकिन देश के इतिहास में इससे ज्यादा भीषण त्रासदी नहीं हो सकती कि 60-70 साल का आज़ादी के बाद हमारा अपना व्यक्ति, जिसका जन्म स्थान है, जो आज़ाद भारत का व्यक्ति है, वह अपने मतदान के लिए तरसे। उसकी चर्चा सदन में इसलिए न हो क्योंकि उसकी वोटों की संख्या कम है, यह दुख का विषय है। कम से कम सदन में इस बात की चर्चा होनी चाहिए, जैसा निशिकांत जी ने कहा कि पाकिस्तान से जो लोग यहां आए, वे अधिकांश हरिजन हैं, उन्हें आज तक मतदान का अधिकार नहीं मिला है। यहां तक कि उनके पास राशन कार्ड तक नहीं है और इस पर सदन में चर्चा नहीं हुई। वे लोग वहां से इसलिए भगाए गए, क्योंकि वे हिन्दू थे, मारकर भगाए थे और तब से आज तक उन्हें एक भी नागरिक सुविधा जम्मू-कश्मीर के भूगोल के भीतर नहीं है।

दूसरी तरफ जो जम्मू-कश्मीर में पैदा हुआ, मैं सदन का सदस्य था जिस दिन जगमोहन जी को वहां से हटाया गया। हम लोग इसी कुर्सी से उनका भाषण सुन रहे थे। उस भाषण से तय हो गया था कि जम्मू-कश्मीर में क्या हो रहा है। विस्थापन 1982 से शुरू हुआ, जब गांवों के नाम बदले गए। उस वहां हिन्दू रह रहे थे, उनकी उपस्थिति में गांवों के नाम बदल दिए गए थे।

दूसरी घटना 1986 में हुई, जब सरेआम वहां घर जलाए गए। हम तब युवा मोर्चे के कार्यकर्ता हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि हमने अपने कस्बे को बंद किया था। हम जानते नहीं थे कि वहां क्या हुआ है और न ही गांव का नाम जानते थे। मैं 1989 में सदन का सदस्य था, जब वह घटना घटी थी, तब मैं यहां खड़ा था। उस समय सैफुद्दीन सोज़ साहब यहां खड़े होकर भाषण दे रहे थे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हम सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा के लिए ही चर्चा न करें। वहां की परिस्थितियां विपरीत हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा।

सदन इस बात का गवाह है कि इसी सदन ने सर्वसम्मति से पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है, यह प्रस्ताव पारित किया था। इसका भी हमें सदैव ध्यान रखना होगा, बोलने के पहले और कुछ करने के पहले इस संकल्प को निश्चित रूप से दोहराने और उसे पूरा करने के लिए हम, आप और सबको एक साथ प्रयास करने होंगे।

मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि क्या हमें पता है कि जम्मू-कश्मीर के कितने विस्थापित हैं? उपाध्यक्ष जी, 1989 में जो विस्थापित हुआ, उसे 26 साल हो गए हैं। अगर वह कश्मीर में पैदा हुआ था तो उसकी उम्र आज 26 वर्ष है, उसकी गिनती नहीं है। इनकी संख्या क्या है, इस बारे में कोई सात लाख कहता है, कोई आठ लाख कहता है। देश के भीतर जो कैम्प हैं, उनकी संख्या नहीं है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इसने इन लोगों को मतदान का अधिकार दिया। लेकिन मतदाता के रूप में क्या उनका नाम वहां दर्ज है, अगर मतदाता सूची से उसका नाम कट गया है तो उसे दिल्ली के मतदान केन्द्र पर वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह भी सच्चाई है। हमने इस समस्या का कभी पूरी तरह से समाधान नहीं खोजा। आज अगर चर्चा होती है तो जो विस्थापित हैं, जिन्हें हम कश्मीरी ब्राह्मण या कश्मीरी हिन्दू कहते हैं, अगर कोई विस्थापित दिल्ली में रहता है तो उसका वहां मकान है। लोगों ने मुझे फोटो दिखाई हैं। मेरे एक मित्र हैं विनोद फोतेदार, उन्होंने बताया कि मेरा घर आप गूगल पर देखिए। उनके पिताजी बहुत बड़े अधिकारी थे, वहां की सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। उसने कहा कि मैं जब वहां जाता हूं और लौटकर आता हूं तो दो दिन तक सामान्य नहीं रह पाता। मैं तो उस समय सिर्फ चार साल का था, मेरे भाई यहां पर पैदा हुए, लेकिन संख्या नहीं पता है। उनका सबसे बड़ा दर्द है कि जब वे वापस जाएंगे, उसने यह भी बताया कि हम साल में एक बार वहां जाते हैं, चाहे विदेश में कोई रहता हो, तो वह भी साल में एक बार जरूर अपने घर को देखने के लिए वहां जाता है। आप उसकी कसक देखिए, यह एक अहम् बात है। फिर उसने कहा कि हम अपना कोई भी धार्मिक आयोजन आज़ादीपूर्वक वहां नहीं कर सकते, यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। रोजगार तो हमें दिल्ली में भी हासिल है। वह कौम लड़ाकू कौम है, उसने साबित कर दिया कि हम भीख मांगकर नहीं खाएंगे, हम अपने बलबूते पर खाएंगे और यह बात साबित भी कर दी। उन पर कभी कोई अंगुली नहीं उठा सकता। लेकिन उसने जो सबसे अहम् बात कही कि जब हम वहां वापस जाएंगे, तो क्या हमें हमारी धार्मिक आज़ादी मिलेगी। आज भी वहां का मुसलमान, जो उनका पड़ोसी है, आज भी दिल्ली आकर उनके पास बैठता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

हिन्दू-मुसलमान की जो बातें कही जाती हैं, वह बातचीत तो यहां आकर वैसे ही करता है, जैसे पहले रिश्तेदारी की तरह करता था, एक अच्छे पड़ोसी की तरह करता था। लेकिन जब ये लौटकर जाएंगे तब उसे आज़ादी मिलेगी, ये उसे जिंदा बचा पाएंगे। क्योंकि वह कहते हैं कि हमने अपनी आंखों से अपनी बहनों की इज्जत लुटते हुए देखी है। हमने अपनी आंखों के सामने अपने सम्बन्धियों को मरते हुए देखा है। भवन ढहाए जाएं, उनमें आग लगा दी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, उसके लिए उसने विकल्प सुझाए। आज भी जम्मू-कश्मीर की सीमा के अंदर जहां पर एक अच्छा पक्ष है, जहां धार्मिक स्थान है, लाखों की संख्या में वहां लोग जाते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी अकेली बस्ती न बने। उन्होंने कहा है कि केवल हम लोगों की बस्ती न बने। वहां के लोकल लोग रहें। लेकिन कोई ग्रोथ सेंटर होना चाहिए। कोई ऐसा प्रावधान कीजिए जो सेना की छावनियों के साथ हो। वहां हम सुरक्षित भी होंगे और हमारा रोजगार भी होगा। हमारे धार्मिक आयोजन भी हो सकेंगे। हम नहीं कहते हैं कि केवल केवल पंडितों की या हिन्दुओं की कॉलोनी बसायी जाए। वहां मुसलमान भी हों, वहां के स्थानीय लोग भी हों और उनको भी रोजगार मिले। यह हम चाहते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी चाहत है कि हमें धार्मिक आजादी मिलनी चाहिए। मैं कुछ सवाल यहां खड़े करना चाहता हूं कि इस देश की संसद को देश में कितने विस्थापित हैं, इसकी संख्या जानने का अधिकार नहीं है? यह सबसे अहम सवाल है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इस देश के भीतर इतना अमानवीय काम होता रहा है और उसके बावजूद भी हम वाजिब संख्या न जान पाए, क्या यह हम पर लानत नहीं है? क्या यह हमारे लिए चुनौती नहीं है? हम लोग कागजों के द्वारा सरकार से प्रश्न पूछें, इससे अच्छा यह होगा और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि एक बार इसको देखा जाना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर की सीमा के बाहर वहां से भगाए गए लोगों की संख्या कितनी है? कितने परिवार हैं? वर्ष 1989 में उनकी संख्या कितनी थी और उसके बाद पैदा हुए लोगों के साथ उन शरणार्थियों की संख्या कितनी है? यह मेरा पहला सवाल है।

मेरा दूसरा सवाल है कि जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अधिकांश शरणार्थी हरिजन हैं, जिनके पास नागरिक सुविधाओं के नाम पर एक भी चीज नहीं है। मैंने मजदूरों के क्षेत्र में काम किया है। आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि वहां छात्रावास है, लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। छात्रावास में आप रहिए, मुफ्त में खाइए, लेकिन पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। मैंने इसी सदन में काला कोट का सवाल उठाया था तो पहली बार उस कोयले की खदान में मजदूरी बढ़ी थी। मैंने इसी सदन में कहा था और उस समय लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मैंने कहा था कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरे हिन्दुस्तान में एक साल में किसी भी महंगी गाड़ी पर पचास हजार रुपये टैक्स नहीं लगता है। लेकिन शिवकोड़ी के मंदिर में खच्चर चलाने वाले से एक साल में पचास हजार रुपये का टैक्स वसूला जाता है। जम्मू-कश्मीर की सरकार ने बाद में उसे घटा कर 27 हजार रुपये किया था। वहां कानून नाम की चीज नहीं है। जो लोग धारा 370 का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां मुसलमान हैं, जो लोधी और साहू इत्यादि हैं। वह कभी हिन्दू था, इसलिए वह अपनी जाति आज भी हिन्दू की ही लिखता है। हमारे मजदूर मोर्चे का अध्यक्ष लोध है, वह लोधी जाति का है, जबकि वह मुसलमान है। वहां उस मजदूर को कोई हक नहीं है। वहां कोई कानून नहीं है। धारा 370 जिनको चाहिए, उनको दीजिए, लेकिन आप उस गरीब मजदूर के प्राण क्यों ले रहे हैं? क्या सदन को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? आप धारा 370 को भाजपा के चश्मे से देखना चाहते हैं, आप जनसंघ के आंदोलन से देखना चाहते हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? मैं चाहता हूं कि संसद का डेलीगेशन वहां जाए, उन गांवों में जाए, जहां सौ फीसदी मुसलमान मजदूर और किसान हैं, उनके हालात देख कर आइए। उसके बाद अपनी छाती पर हाथ रख कर इस सदन में कहिए।

श्री भर्तृहरि महताब: विदआउट सिक्योरिटी जाना चाहिए।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : विदआउट सिक्योरिटी जाने का साहस कितने लोग करेंगे और मैं विदआउट सिक्योरिटी जाने के लिए तो नहीं कहता, यह अपनी इच्छा है। मैं तो कहता हूं कि आप सुरक्षा के बीच में जाइए और वहां के हालात देखकर आइए। उसके बाद सदन में कहिए कि वहां धारा 370 रहनी चाहिए या नहीं। मेरा दावा है कि अगर आप हिन्दुस्तान के नागरिक हैं और वहां जो तमाशा देख कर आएंगे तो आपको रो कर कहना पड़ेगा कि धारा 370 वहां नहीं होनी चाहिए। मैं मजदूरों को संरक्षण देने वाले एक कार्यकर्ता के नाते इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि वहां के कुछ स्थान हैं, जिनके बारे में मुझे जानकारी है, जो वैकल्पिक स्थान हो सकते हैं, वहां शरणार्थियों को, उनको शरणार्थी कहना शर्म की बात है, उन कश्मीरी ब्राह्मणों को सम्मानजनक स्थान के लिए बनिहाल, अनंतनाग, जो सबसे ज्यादा क्रूर जगह मानी जाती है, वहां बसाया जा सकता है। कुलगाम में बसाया जा सकता है। अवंतीपुरा में बसाया जा सकता है। श्रीनगर में इंदिरा नगर में उनको बसाया जा सकता है। बडगाम में भी बसाने का रास्ता निकल सकता है। मेरा कहना है कि आप वहां किसी कश्मीरी हिन्दू की या कश्मीरी ब्राह्मण की कॉलोनी मत बनाइए। वे भी चाहते हैं कि वहां के लोग आएं, लेकिन कोई ग्रोथ सेंटर, कोई आर्थिक समूह हो, जहां उनको संरक्षण मिले और संरक्षण इस बात का हो कि वे अपना सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक कार्यक्रम आजादीपूर्वक कर सकें। यह गारण्टी इस सदन को देनी चाहिए। यह सबसे अहम सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बहस इस सदन के भीतर हो। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता जम्मू-कश्मीर की इस चुनौती के कारण बना और मैंने अपनी बात वहां से शुरू की थी। इसलिए मैं अंत भी उसी के साथ करूंगा। मेरे जैसे लोग, जिनकी भूगोल की सीमा वहां नहीं जुड़ती, अभी इस बीच में इन चार वर्षों में जब मैंने मजदूरों का काम किया तो उन जिलों में मुझे जाने का मौका मिला, मैं सुरक्षा लेकर नहीं गया। महताब जी, सुरक्षा लेकर जाने में मरने की गारंटी है, लेकिन अगर वहां के कार्यकर्ता का भरोसा है तो मैं कहता हूं कि हम जैसे लोग आज भी जिंदा खड़े हैं। मैं 17 जिलों में गया हूं और उन जिलों में गया हूं, जहां कई जगहों पर हमारी पार्टी का काम भी नहीं था। मेरे जैसा व्यक्ति वहां होकर

आया है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं दुनिया में सब कुछ जानता हूं। मैंने नड्डा जी का नाम लिया था, क्योंकि उस समय कहा गया था कि लाल चौक में आपको सेना के कैम्प से पैदल जाना पड़ेगा और मुझे इसलिए खारिज कर दिया गया था, क्योंकि मेरी लम्बाई ज्यादा थी। इसलिए मैं अपने आपको दुर्भाग्यशाली मानता हूं।, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि ऐसे राष्ट्रवाद के लिए अगर मर जाएं तो उसी जमीन पर मरें तो हम उसे गर्व मानेंगे। मैं चाहता हूं कि हमने अपनी आंखों के सामने उस पूरे विशाल भारत, अखंड भारत का सपना इस सदन में पूरताव के माध्यम से देखा है, वह एक दिन हम अपनी आंखों से देखें। वह दिन जल्दी आए और हमारी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले वे लोग, जिन्होंने वहां लड़ाई लड़ी है, मैं चाहूंगा कि वे सम्मान की जिंदगी जीएं और इस सदन और सरकार का धन्यवाद करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, my esteemed colleague Shri Nishikant Dubey has brought forward the Resolution for the immediate steps for rehabilitation and welfare of the displaced persons from Kashmir. Kashmir is regarded as the crown of India. We recognize Kashmir as heaven on earth but, for the displaced persons, Kashmir has become a hell on earth.

First of all, I would like to draw the attention of the Ministry concerned to the fact that whether we have any national policy or any national law for the displaced persons in our country because it is a very fundamental question that needs to be resolved before going any further. What does it mean by "displaced persons?" What is the distinction among displaced, migrant and refugees? All the nuances sometimes confuse the common people.

As per the international parlance, the expression "internally displaced persons " is defined as follows and I quote:

> "Persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violation of human rights or natural or human-made disasters and who have not crossed an international borderâ€¦"

These are called the internally displaced persons. But, Sir, for those Kashmiri pandits who have been coerced into leaving the Valley, they have not been categorized as internally displaced persons. Rather, they are treated as migrants. What is the reason behind it? Is the Government keen on shirking its responsibility on its own population or any other reason thereof? I need to know about it. Our Law Minister is also present in this House. So, I seize the opportunity to draw his attention also. Displacement is not simply a phenomenon of our country. Displacement has assumed a global phenomenon.

Right now a large population in the West Asian Arab region are being displaced by the onslaught of ISIS. In African countries also, displacements have been continuing from Sudan to Libya, Hutu, Tutsi, etc. Therefore, displacement is not confined to India, it is a global phenomenon. As we are experiencing this kind of displacement, we need to have a comprehensive policy on it because displacement will not occur only in Jammu and Kashmir Valley. If you see the North-East, the multi-racial, multi-religious, and multi-ethnic nature of Assam closely parallels the character of other States in geographically nearer North Eastern Region of India. While conflict in the North Eastern occurred predominantly in the form of varying tribes and insurgents causing a highly volatile and unstable situation, much of this conflict takes place in the form of ethnic warfare which developed in the region since the beginning of the post-colonial era between tribes such as Bodos, Santhal. A few days earlier, we have witnessed grave killings in Bodoland also. The strategy of ethnic cleansing has been pursued for their own autonomy. These are various types of displacements that have been occurring in our country.

Those displaced persons have not crossed the international borders. Once they cross the international borders, they may be treated as refugees. Once they become refugees, then, he or she would have the international attention. However, still India is such a country, if you see the Kashmir Valley, where refugees still are waiting for their legal entitlements. Those who are the sons of the soil of J&K, have been displaced and are suffering a pitiable life.

Denial of displacement has overshadowed the creation of domestic legislation for Internally Displaced Persons. National responsibility has been accepted only for those displaced by the Kashmir conflict although these people are identified as migrants. It has been estimated that there are 6.50 lakh Internally Displaced Persons in our country but there is no Central agency or policy for monitoring and implementing strategies of IDP. Therefore, this is the occasion when we can at least ponder over the situation, along with all its implications and ramifications, we can aim of resolving it permanently because Kashmir *Pandits,* those who have been displaced, those who are recognised in our country as migrants, they are suffering a sordid life, since they are displaced from the Valley.

First of all, they thought that these are the problems which will be overcome by months; months have been elongated to years; and now year after year, there is no light at the end of the tunnel for those poor and vulnerable Kashmiri *Pandits.* Issues may be raised here. We can easily pass the buck to some other's shoulder. But, that is not the end of the problem. Kashmiri Pandits were assured that they would be returned to the Valley once the NDA comes to power. Yes, it was the commitment made by the BJP. Even Rajnath Singh *ji*, our hon. Home Minister has sought land from Omar Abdullah *ji* also. But, if you ask any Kashmiri Pandit whether they would like to go back to the Valley, the first question they would ask, whether their lives will be secure there. It is because, it is the fear of security and the security for life along with honour which had compelled them to leave the Valley. They had been compelled to leave their birthplace because of lack of security. So, without pushing them into a world of illusion, first of all, we need to create a conducive environment, more precisely, I would say, a demographic environment. Insofar as demographic composition is concerned, the Muslims are the predominant population in the Valley. So, the demographic environment is not conducive for those Kashmiri migrants. Demographic composition always plays averse to the return of those migrants. Therefore, a secular culture, a secular environment needs

to be developed in the Valley; the Government should strive for it.

Now, what we are experiencing is that even Pakistani flags are being unfurled there, are being waved there with impunity. These kinds of incidents do not inspire any confidence among the Kashmiri Pandits. Therefore, first of all, we need to have a conducive and security environment in Kashmir Valley.

I would simply ask our hon. Minister that a proposal with financial implications of Rs. 5,820 crore has been received from the Government of Jammu & Kashmir in the existing PM's Package for Relief and Rehabilitation of Kashmiri migrants, 2008. The proposal envisages upward revision of the scale of the most of the items of existing package. It seeks enhancement of financial assistance for construction/ reconstruction of houses up to Rs. 20 lakh, financial assistance for providing 3000 Government jobs to the migrant youths, financial assistance of Rs. 10 lakh for self employment/ business venture, construction of 2000 transit accommodations in the Valley, financial assistance of Rs. 900 crore for acquiring land for establishing cluster accommodations etc. Jobs have been provided under 2008 package to 1,553 Kashmiri migrants.

Sir, I would refer to one paragraph of the Report of the Standing Committee on Home Affairs for drawing the attention of the Home Minister.

> "The Committee is displeased to note that non finalization of projects or other procedural wrangles under rehabilitation of Kashmiri migrants' scheme led to under expenditure and decrease in allocation during last financial year. The Committee recommends that the Ministry should pursue with Cabinet Secretariat for early approval of proposed rehabilitation plan. The Committee hopes that the Ministry would utilize allocated amount during this fiscal in time. The Committee feels that the Government should look positively into the proposal of the State Government of J&K in the existing PM's package for Relief and Rehabilitation of Kashmiri Migrants as view of the State Government alongwith representative of migrants should be given priority while finalizing or reformulating any package or rehabilitation plan for the migrants. The Committee notes that the Ministry has accorded approval for enhancement of cash relief to the Kashmiri migrants from the present level of Rs. 1,650/- per person per month to Rs. 2,500/- per person per month and recommends that the matter should be pursued vigorously with the Ministry of Finance for their concurrence."

With these words, I would like to draw the attention of the hon. Minister towards my request. I also thank the mover of this Resolution.

HON. DEPUTY SPEAKER:Now, we will take up next item Private Members' Bills to be introduced.